

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 524]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 16 दिसम्बर 2016—अग्रहायण 25, शक 1938

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 दिसम्बर 2016

संशोधन

क्र. एफ-3-80-2016-छः.—विभागीय आदेश क्रमांक 8-1-2006-छैः-1 दिनांक 6 जून 2006 से कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रा हेतु कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा नियम, 2006 प्रसारित किये गये थे में एतद्वारा संशोधन किया जाता है.

नियम 3(1) में "कैलाश मानसरोवर की तीर्थयात्रा पर जाने वाला व्यक्ति मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो" के पश्चात् निम्न शब्द जोड़े जाते हैं:

परन्तु वह आयकर दाता न हो.

शेष शर्तें पूर्व में जारी स्वीकृति क्रमांक एफ 8-1-2006-छैः-1 दिनांक 6 जून 2006 के अनुसार रहेंगी.

संशोधन

क्र. एफ-3-80-2016-छः.—विभागीय आदेश क्रमांक एफ-2-27-2011-छः-1 दिनांक 16 दिसम्बर 2011 से श्रीलंका स्थित सीता मंदिर, अशोक वाटिका तथा अंकोरवाट मंदिर, कंबोडिया की तीर्थयात्राओं पर जाने हेतु श्रीलंका के सीता माता मंदिर, अशोक वाटिका तथा अंकोरवाट मंदिर कंबोडिया यात्रा नियम, 2011 प्रसारित किए गए थे में एतद्वारा संशोधन किया जाता है.

नियम 4(1) में 'श्रीलंका स्थित सीता मंदिर, अशोक वाटिका तथा अंकोरवाट मंदिर, कंबोडिया की तीर्थयात्रा पर जाने वाले व्यक्ति मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो' के पश्चात् निम्न शब्द जोड़े जाते हैं :

परन्तु वह आयकर दाता न हो.

शेष शर्तें पूर्व में जारी स्वीकृति क्रमांक एफ 2-27-2011-छः-1 दिनांक 16 दिसम्बर 2011 के अनुसार रहेंगी.

संशोधन

क्र. एफ-3-80-2016-छः.—विभागीय आदेश क्रमांक एफ. 7-6-2007-छः-1 दिनांक 4 दिसम्बर, 2007 से पाकिस्तान स्थित हिंगलाज देवी मंदिर तथा ननकाना साहेब तीर्थयात्रा हेतु पाकिस्तान स्थित हिंगलाज देवी मंदिर तथा ननकाना साहेब यात्रा नियम, 2007 प्रसारित किये गये थे में एतद्वारा संशोधन किया जाता है।

नियम 3 (1) में 'पाकिस्तान स्थिति हिंगलाज देवी मंदिर तथा ननकाना साहेब तीर्थयात्रा पर जाने वाला व्यक्ति मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो' के पश्चात् निम्न शब्द जोड़े जाते हैं:

परन्तु वह आयकर दाता न हो।

शेष शर्तें पूर्व में जारी स्वीकृति क्रमांक एफ 7-6-2007-छः-1 दिनांक 4 दिसम्बर 2007 के अनुसार रहेंगी।

संशोधन

क्र. एफ-3-80-2016-छः.—विभागीय आदेश क्रमांक एफ. 2-1-2013-छः-1 दिनांक 4 अक्टूबर, 2014 द्वारा सिन्धु दर्शन तीर्थ यात्रा पर जाने हेतु भारत के लद्दाख स्थित सिन्धु दर्शन यात्रा नियम-2014 प्रसारित किए गए थे, में एतद्वारा संशोधन किया जाता है।

नियम 3 (1) में 'भारत के लद्दाख स्थित सिन्धु दर्शन की यात्रा पर जाने वाला तीर्थयात्री मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो' के पश्चात् निम्न शब्द जोड़े जाते हैं :

परन्तु वह आयकर दाता न हो।

शेष शर्तें पूर्व में जारी स्वीकृति क्रमांक एफ 2-1-2013-छः-1 दिनांक 4 अक्टूबर 2014 के अनुसार रहेंगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव।